# FORM No.III
# फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ................................................ .......... मुकाम ..........................................

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं .................. बनाम ........लादूलाल व अन्य..............

करम मुकदमा ................................................ नं0 ....49/19................ सन् ..............

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.06.2019 | वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसाार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो। [signature] | |
| 18.06.2019 | पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली में समस्त सहखातेदार उपस्थित नहीं आने से पत्रावली अब कोर्ट कैम्प नन्दवाई दिनांक 27/6/19 को पेश हो। [signature] | खारा। लाड [illegible] |
| 27.06.2019 | पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प नन्दवाई पर रखवायी गई। वादी पैरोकार तहसीलदार उपस्थित तथा प्रतिवादीगण 1 से क्रमांक 21 समस्त उपस्थित आए। समस्त प्रतिवादीगण को दावा पत्रावली में मौका आमलदा की कार्यवाही सं. 614, 116 | कालू s/o [illegible]; [illegible]; लक्ष्मी; नवरतमल; नारायण; अ. निशानी; अ. निशानी |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

**FORM No.III**

# फर्द अहकाम

**(नियम 26)**

अदालत .................................................. मुकाम ..................................

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं बनाम लादूलाल व अन्य

करम मुकदमा .................................. नं. 49/19 .................... सन् ....................

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 668 कुल किता - 3 कुल रकबा 1.23 हे० भूमि मे सभी सहखातेदारो का हिस्सा घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई, सहखातेदारो द्वारा बताये गये आजरानुसार आराजी में हिस्से की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गए। <br> अतः वाद अन्तर्गत धारा 88 RT Act एवं 136 LR Act का स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर व डिक्री तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। डिक्री की प्रति राजस्व रेकार्ड मे हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होवे <br> सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़) <br> 27/6/19 | ख्यारी <br> छीतरलाल <br> जानकी <br> अ.नि. सोहनीबाई <br> लीला <br> अ.नि. माधु <br> छीतरलाल <br> गेंदमल <br> नारायण <br> लाडु <br> राधा <br> अ.नि. गेवरीबाई <br> ऊंकार रतनलाल <br> अ.नि. माधु <br> नाना रूपलाल |

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 49/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. लादूलाल पिता नारायण बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. रतलाल पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. रेखा पितादेवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
6. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
7. हजारी पिता देवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
8. काना पिता सुरजिया बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
9. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
10. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. काना पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. नाथ पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. मोत्याबाई पत्नि स्व. काश्या बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. शंकर पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
18. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
19. प्यारा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
20. उदा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
21. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 21

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी./DILRMP के तहत हिस्से का घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/ परिपत्र/ कमांक/ बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126 /पार्ट–2/ 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 860 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 196 सं. 2071–74 आराजी संख्या 614, 616, 668 किता–3 रकबा 1.23 हैक्टर श्री लादूलाल पिता नारायण, रतनलाल

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

वगैरा पुरी डिटेल जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है । अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें आनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल. आर.एक्ट की धारा 136 के तहत हिस्से की घोषणा बाबत अनुशंसा की गई है।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वादवर्णित आराजी किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है, एवं वेणाजी के वारिसान तीन पुत्रों धन्ना, गोकल व गुला के नाम से दर्ज हुई है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है धन्ना गोकल व गुला के फोत होने से उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। मांगीलाल पिता देवा द्वारा स्वयं का निहित का हिस्सा का बेचान जो 1/18 है, लादू पिता नारायण बलाई को किया गया है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारों के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गए। सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति हेतु हस्ताक्षर पत्रावली में किये । पत्रावली में रेकार्ड का अवलोकन किया गया, सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी नं. 614, 616, 668 किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर देवा वल्द धन्ना,काना पिता सूरजिया, बालू मोडा आश्या,ऊँकार पिता गुला, चमना पिता गोकल बलाई साकिन देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। विरासत नामा0सं0 92 से देवा के बजाय मांगीलाल, कूका, हजारी नामा.सं. 978 से कूका के बजाय रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल, सोहनीबाई पत्नि कूका, नामान्तरण सं0 337 से चमना पिता गोकल के बजाय प्यारा, उदा, मांगीबाई पिता गोकल का नाम, नामा0सं0 92 से बालू पिता गुला के बजाय भवाना, काना, नंदा पिता बालू, नामा0सं0 130 मोडा के बजाय नानूराम मु0मोडा नामा0सं0 738 में भवाना के बजाय भंवरलाल, सायरीबाई पिता भवाना घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना, नामा0सं0 474 से काश्या के बजाय मोत्याबाई पत्नि स्व. काश्या, नामा0सं0 130 से ऊँकार के बजाय शंकर कूका प्रकाश पिता ऊँकार , नामा0सं0 1131 वसीयत से कूका पिता ऊँकार के बजाय भंवरलाल पिता भंवाना एवं नामान्तरण संख्या 467 बेचान से मांगीलाल पिता देवा के बजाय लादूलाल पिता नारायण बलाई का नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में सजरा अनुसार खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर सामालाती आराजी की है जो लादूलाल पिता नारायण बलाई द्वारा मांगीलाल पिता देवा का हिस्सा क्रय करने से मूल खाते से अलग दर्ज की गई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी वेणाजी की होकर उसके तीन पुत्रों धन्ना ,गोकल व गुला के नाम से दर्ज हुई है जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है जो सही है। मांगीलाल पिता देवा का निहित हिस्सा 1/18 बनता है का बेचान लादूलाल पिता नाराण बलाई को किया गया, अतः मजमेआम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमति से मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 614,616,668 किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि केसम्बन्ध में प्रस्तुत समस्त रिकोर्ड का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने एवं राज्य सरकार के निर्देश **DILRMP** के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो मे दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किया जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात में सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खाता संयुक्त ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 614,616,668 किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि मे श्री लादूलाल पिता नाराण 1/18, रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल, लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हिस्सा बराबर 1/36, सोहनीबाई पति स्व. कूका 1/36, हजारी पिता देवा 1/18, काना पिता सूरजिया 1/6, भंवरलाल सायरीबाई पिता भवाना घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना हिस्सा ब0 1/36, काना पिता बालू 1/36, नाथू पिता बालू 1/36, नानूराम पिता मोडा 1/12, मोत्याबाई बेवा काश्या 1/12, भंवरलाल पिता भवाना 1/36, शंकर पिता उँकार 1/36, प्रकाश पिता उँकार 1/36, प्यारा उदा, मांगीबाई पिता चमना हिस्सा ब0 1/3 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(एमेशसी.वी. पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 49/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. लादूलाल पिता नारायण बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. रतलाल पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. रेखा पितादेवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
6. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
7. हजारी पिता देवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
8. काना पिता सुरजिया बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
9. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
10. सायरीबाई पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. काना पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. नाथ पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. मोत्याबाई पत्नि स्व. काश्या बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. शंकर पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
18. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
19. प्यारा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
20. उदा पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
21. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 614,616,668 किता– 3 रकबा 1.23 हैक्टर भूमि मे श्री लादूलाल पिता नाराण 1/18, रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल, लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हिस्सा बराबर 1/36, सोहनीबाई पति स्व. कूका 1/36, हजारी पिता देवा 1/18, काना पिता सूरजिया 1/6, भंवरलाल सायरीबाई पिता भवाना घीसीबाई पत्नि स्व. भवाना हिस्सा ब0 1/36, काना पिता बालू 1/36, नाथू पिता बालू 1/36, नानूराम पिता मोडा 1/12, मोत्याबाई बेवा काश्या 1/12, भंवरलाल पिता भवाना 1/36, शंकर पिता उँकार 1/36, प्रकाश पिता उँकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

1/36, प्यारा उदा, मांगीबाई पिता चमना हिस्सा ब0 1/3 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2019.11.18 17:36:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: